संख्या- 54 /2020/ 2807/चार-2019

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी ,2020**

विषय:- कॉफी टेबल बुक में निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 के संदेश के प्रकाशन हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2823/सं0नि0-(अभि0-क्रय)/2018-19, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कॉफी टेबल बुक में निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 के संदेश के प्रकाशन हेतु जी0एस0टी0 सहित कुल धनराशि रू0 35,400/-(पैंतीस हजार चार सौ रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू0 35,400/-(पैंतीस हजार चार सौ रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराने तथा भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट का अवलोकन कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण , बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 35,400/-(पैंतीस हजार चार सौ रूपये मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-104-अभिलेखागार-04-राज्य अभिलेख-18-प्रकाशन मद (निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ) में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या 54 /2020/2807/(1)/चार-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।